न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली

पीठासीन अधिकारी : श्री भागीरथ बिश्नोई, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या : 90/2011

RCMS Sace No. 2011/00109

प्रार्थी:–

1 गजेन्द्रसिंह पुत्र अर्जुनसिंह जाति चारण निवासी रामासनी सांदवान तहसील सोजत जिला पाली

बनाम

अप्रार्थीगण :–

1 उदयसिंह पुत्र भवानीदान जाति चारण निवासी रामासनी सांदवान तहसील सोजत जिला पाली

2 ग्राम पंचायत मेव जरिये सरपंच, पंचायत समिति, सोजत

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994

उपस्थित :–

1. श्री राजेन्द्र मेवाड़ा, विद्वान अभिभाषक प्रार्थी
2. अप्रार्थीगण अनुपस्थित।

–: निर्णय :–

दिनांक 29.11.2018

प्रार्थी ने यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम 1994 के ग्राम पंचायत मेव द्वारा मिसल संख्या 25/2002 में पारित प्रस्ताव संख्या 7 दिनांक 20.09.2002 एवं उसकी पालना में जारी पट्टा संख्या 1801 के विरूद्ध पेश की गई। निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। अप्रार्थी नियत तारीख पेशी पर अनुपस्थित रहे है। अतः अप्रार्थी के विरूद्ध प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय पारित किया जाता है। विद्वान अभिभाषक प्रार्थी की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने अपनी बहस में निगरानी में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम पंचायत मेव द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 से मिलावट करते हुए जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी किया गया है, जो विधि विरूद्ध है। पंचायत में जो मिसल कायम की गई है, उस मिसल में अंकित समस्त आदेशिकाएं अप्रार्थी संख्या 1 की हस्तलिखित है। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के अन्तर्गत किसी भी आबादी भूमि का पट्टा जारी करने हेतु भूमि का विवरण दर्ज कर प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर ग्राम पंचायत द्वारा विधि अनुसार शुल्क लेकर मिसल कायम कर मौका निरीक्षण हेतु तीन पंचों की समिति बनाकर मौका निरीक्षण कर रिपोर्ट व नक्शा बनाकर आपत्ति मांगने का नोटिस जारी कर नोटिस की एक प्रति उस भूमि के सहज दृश्य स्थान पर लगाई जाना आज्ञापक है, किन्तु ग्राम पंचायत द्वारा इन आज्ञापक प्रावधानों की किसी भी रूप में पालना नहीं की गई। प्रकरण में ग्राम पंचायत द्वारा जो नोटिस जारी किया गया, वह कब जारी हुआ, किन व्यक्तियों के समक्ष किस स्थान पर कब चस्पा किया गया, कहीं भी

अति० जिला कलेक्टर, पाली

अंकित नहीं है। ग्राम पंचायत द्वारा मौका निरीक्षण हेतु किन पंचों को नियुक्त किया गया, कहीं भी अंकित नहीं है। निरीक्षण प्रपत्र में मिसल संख्या, प्रार्थी का नाम, स्थान का नाम, तारीख आदि अंकित नहीं है तथा मौका निरीक्षण प्रपत्र व नक्शा पर निरीक्षण करने वाले पंचों के हस्ताक्षर या अंगुष्ठ निशान नहीं है। इसके अतिरिक्त मात्र खानापूर्ति करते हुए बयान कलमबद्ध किए गए है, जो विधि विरूद्ध है। बयानकर्ताओं के नाम, वल्दियत आदि अपूर्ण है, मात्र दो व्यक्तियों के नाम भर कर हस्ताक्षर करवाए गए है। इसके अतिरिक्त जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में जो पट्टा जारी किया गया है, वह राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 157 (ख) के तहत जारी किया गया है, जिसके तहत पुराने निर्मित गृहों के विनियमितिकरण के प्रावधान हैं, जबकि मौके पर किसी प्रकार का मकान निर्मित नहीं है। इसकी ताईद स्वयं अप्रार्थी संख्या 1 के आवेदन पत्र, गवाहों के बयानों से एवं अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अपने पुत्रों के हक में निष्पादित बक्शीशनामा में भी भूमि की जो प्रस्थिति अंकित की है, वह भू–खण्ड के रूप में दर्शाई गई है। इससे स्पष्ट होता है कि मौके पर किसी प्रकार का पुराना गृह निर्मित नहीं होने के बावजूद भी ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी किया गया है, जो विधि विरूद्ध है। ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 से मिलावट करते हुए जैर अपील आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी किया गया है, जो विधि विरूद्ध है। अतः निगरानी स्वीकार करावें एवं जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टे को अपास्त करावें।

अप्रार्थी संख्या 1 पैरवी हेतु न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं है, किन्तु उनके द्वारा न्यायालय के समक्ष पूर्व में जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अंकित तथ्यों को रेखांकित किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अपने जवाब में यह जाहिर किया कि जैर निगरानी विवादित आराजी अर्थात आवासीय मकान को अप्रार्थी द्वारा अपने पुत्र के पक्ष में गिफ्ट डीड लगभग दो वर्ष पूर्व निष्पादित की जा चुकी है, जिसकी प्रार्थी को पूर्ण जानकारी थी, इसके बावजूद भी प्रार्थी द्वारा जानबूझकर अप्रार्थी के पुत्र को नुकसान पहुँचाने की नियत से पक्षकार संयोजित नहीं किया है। इस कारण निगरानी खारिज़ योग्य है। जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में जो पट्टा जारी किया गया है, वह अप्रार्थी के आवासीय मकान का पट्टा है, जिस पर विगत 400 वर्षों से प्रार्थी सहित अप्रार्थी के पूर्वज निवास करते आ रहे है तथा पिछले 40 वर्षों से उक्त मकान विभाजन में अपने हिस्से में आने के कारण अप्रार्थी निवास कर रहा है। वर्ष 1956 में ग्राम पंचायत से अनुमति लेकर अप्रार्थी के पिताजी ने इस मकान को पक्का बनवाया, तभी से यह मकान उसी स्थिति में कायम है, जिसके आधे भाग में प्रार्थी स्वयं भी निवासरत है। वर्ष 2002 में अप्रार्थी ने अपने स्वामित्व के मकान का विधिवत पट्टा ग्राम पंचायत से बनवाया, जो भी प्रार्थी के पूर्ण जानकारी में था, फिर भी प्रार्थी ने इतने वर्षों तक कोई निगरानी पेश नहीं कर अब निगरानी पेश की है, जो खारिज योग्य है। वर्ष 1956 में उक्त जैर निगरानी पट्टे की भूमि पर मकान का निर्माण करवाते समय अप्रार्थी के पिता द्वारा ग्राम पंचायत से अनुमति पत्र जारी किया गया है, जो पुराने

अति० जिला कलेक्टर, पाली

गृह की ताईद करता है। वर्ष 2002 में अप्रार्थी के नाम से ग्राम पंचायत मेव द्वारा जारी पट्टे की जानकारी अप्रार्थी को पूर्व से ही रही है। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा परिसीमित काल में निगरानी पेश नहीं की है। निगरानी के लिए सामान्य रूप से परिसीमा काल 90 दिवस होता है, इसके बाद मात्र कुछ विशेष परिस्थितियों में ही निगरानी के लिए परिसीमा काल बढाया जा सकता है, जिसके लिए उचित कारण का प्रार्थना पत्र शपथ पत्र के साथ पेश किया जाना आवश्यक एवं आज्ञापक है, चूंकि अप्रार्थी का आवासीय भूखण्ड का पट्टा विधिवत रूप से वर्ष 2002 में जारी किया गया है, जो प्रार्थी की जानकारी में होने के बावजूद भी प्रार्थी द्वारा मियाद बाहर निगरानी पेश की है, जो मियाद बाधित होने से खारिज योग्य है। प्रार्थी ने बिना किसी कारण के मिथ्या कथनों के आधार पर अप्रार्थी को द्वेषतापूर्वक सदोष हानि पहुँचाने के आशय से निगरानी पेश की है, जो विधि विरूद्ध है। प्रार्थी ने पेश निगरानी में तथ्यों के सबूत में कोई विधिवत आधार पेश नहीं किया है। प्रार्थी के कथन मिथ्या है। अप्रार्थी के जिस पट्टे को प्रार्थी द्वारा चुनौती दी गई है, उस पट्टे की अनुमति के बारे में प्रार्थी के पास अप्रार्थी के पट्टे के आवासीय भूखण्ड का परिमाप का गलत होने का कोई आधार नहीं है। प्रार्थी अपनी निगरानी के साथ यह आधार भी पेश करने में पूर्ण असफल रहा है कि निगरानी में बताए गए 12 फीट चौड रास्ते होने का प्रार्थी के पास क्या सबूत है, जबकि पंचायत द्वारा उक्त रास्ते को 5.50 काथ का रास्ता होना अंकित किया है। प्रार्थी को किसी व्यक्ति के पट्टासुदा आवासीय मकानों को चुनौती देने का कोई संवैधानिक अधिकार नहीं है। आवासीय भूखण्डों के पट्टे जारी करना, किसी रासते के चौड़ाई के बारे में निर्णय लेना पूर्ण से रूप से ग्राम पंचायत के क्षैत्राधिकार की बात है। निगरानी किसी हितबद्ध व्यक्ति द्वारा ही प्रस्तुत की जा सकती है। निगरानी में प्रार्थी ने एक शब्द भी कहीं दर्ज नहीं किया कि प्रार्थी का हित इन पट्टों से किस रूप में प्रभावित होगा। प्रार्थी ने निगरानी के अन्त में केवल एक मांग रखी है कि अप्रार्थी के पट्टे निरस्त कर दिए जावे। प्रार्थी प्रकरण में किसी भी रूप में हितबद्ध नहीं है, इस कारण प्रार्थी को निगरानी पेश करने का अधिकार ही नहीं है। अप्रार्थी के पट्टे ग्राम पंचायत मेव द्वारा विधिक रूप से समस्त कानूनी प्रक्रियाओं की पालना करते हुए जारी किए गएहै, जिसके बारे में उज्र करने का प्रार्थी को कोई संवैधानिक अधिकार नहीं है। अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी खारिज की जावे।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। जैर अपील आज्ञा से सम्बन्धित मिसल का अवलोकन करने पर यह प्रकट होता है कि अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा ग्राम पंचायत के समक्ष जो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, उसमें भू–खण्ड की जो स्थिति दर्शाई गई है, वह भूखण्ड के रूप में दर्शित किया है। जिस पर ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 20.07.2002 को मिसल कायम करते हुए सचिव को नक्शा तैयार करने तथा तीन पंचों को मौका निरीक्षण करने के आदेश पारित किए। उक्त आदेश की पालना में जो नक्शा तैयार किया है, उस पर ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव के हस्ताक्षर नहीं है तथा न ही प्रस्तावित भूमि के पडौस

अति० जिला कलेक्टर, पाली

आदि अंकित है। पंचों द्वारा जो मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की, उसमें वांछित भूमि पर अप्रार्थी संख्या 1 का 50 वर्षो पुराना कब्जा होना बताया तथा नियम 148 के तहत एक माह का आपत्ति पत्र जारी कराने का निवेदन किया। इस पर ग्राम पंचायत की बैठक दिनांक 05.08.2002 में एक माह का आपत्ति इश्तिहार जारी कराने का आदेश पारित किया गया। इसके पश्चात निर्धारित अवधि में किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर दो स्वतन्त्र साक्ष्यों के बयान कलमबद्ध किए जाकर अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में पट्टा जारी कराने का आदेश पारित किया।

राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 में पट्टा जारी करने की प्रक्रिया विहित है। जिसके अनुसार नियम 145 के तहत पंचायत से कोई भी आबादी भूमि/छूटा हुआ भूखण्ड या भूमि की कोई पट्टी खरीदने का इच्छुक कोई व्यक्ति पंचायत को लिखित आवेदन, उसमें उसका ऐसा विवरण देते हुए प्रस्तुत करने के प्रावधान है, जो क्रय के लिये प्रस्तावित भूमि की पहचान के लिये पर्याप्त हो तथा आवेदन के साथ स्थल निरीक्षण के व्ययों के पेटे पच्चीस रूपये की राशि जमा करानी होगी तथा आवेदन के साथ स्थल का नक्शा संलग्न नही किया गया हो तो आवेदक नक्शा तैयार करने के लिये भी पच्चीस रूपये जमा करायेगा। इसके पश्चात नियम 146 के तहत मिसल कायम करने तथा मौका निरीक्षण हेतु तीन पंचों की कमेटी मनोनीत करने तथा कमेटी द्वारा 15 दिवस के भीतर मौका निरीक्षण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के प्रावधान है। नियम 147 के तहत अनंतिम विनिश्चिय करने एवं नियम 148 के तहत एक माह की अवधि के भीतर आपत्ति आमन्त्रित करने को नोटिस जारी कर प्रकाशित करने के प्रावधान है। नियम 148 के अधीन जारी सूचना के प्रत्युत्तर में प्राप्त आक्षेप के निस्तारण के प्रावधान नियम 149 के तहत प्रदत्त है। नियम 150 के तहत भूमि को नीलाम करने की प्रक्रिया विहित है। नियम 151 में नीलामी समिति प्रावधित है। नियम 152 में बाजार कीमत सम्बन्धी तथा नियम 153 में संदाय एवं पुनर्विक्रय करने के प्रावधान उल्लेखित है तथा नियम 154 के तहत विक्रय की पुष्टि करने के प्रावधान है। नियम 155 के तहत कब्जा सुपुर्द करने के प्रावधान है। नियम 156 के तहत प्राईवेट बातचीत द्वारा आबादी भूमि का अन्तरण करने के प्रावधान हे। नियम 157 के तहत पुराने गृहों का विनियमितीकरण के प्रावधान है, जिसमें 50 वर्ष से अधिकार पूर्व के निर्मित मकानों हेतु 100/– रूपये एवं इन नियमों के लागू होने की तिथित को 50 वर्षो के दौरान बने पुरने मकानो हेतु 200/– रूपये जमा कराने के पश्चात पंचायत द्वारा पट्टा जारी किया जा सकेगा। नियम 158 के तहत भूमियों का कमजोर वर्गो को आवंटन के प्रावधान है। नियम 159 के तहत भूमियों का रियायती कीमत पर आवंटन तथा नियम 160 के तहत अनुमोन के अध्यधीन अन्तरण और आवंटन के प्रावधान उल्लेखित है।

उपरोक्त नियमों के परिप्रेक्ष्य में हस्तगत प्रकरण का परीक्षण किया जाता है, तो स्थिति यह उत्पन्न होती है कि हस्तगत प्रकरण में स्वयं अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अपने आवेदन पत्र में दो भू–खण्डों के पट्टे जारी कराने का निवेदन किया है, जिसके कारण प्रकरण नियम 157 के तहत कवर नहीं होता है। इसके अतिरिक्त प्रकरण में ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव द्वारा मौका निरीक्षण किया जाना आज्ञापक है,

अति. जिला कलेक्टर, पाली

जो नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त भू–खण्डों के विनियमितिकरण के प्रावधान राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 में प्रावधित नहीं होने से ग्राम पंचायत द्वारा पारित जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में जो पट्टा जारी किया गया है, वह विधि सम्मत नहीं पाया जाता है।

परिणाम स्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका स्वीकार की जाती है तथा ग्राम पंचायत मेव द्वारा मिसल संख्या 25/2002 में पारित प्रस्ताव संख्या 7 दिनांक 20.09.2002 एवं उसकी पालना में जारी पट्टा संख्या 1801 को अपास्त किया जाता है। निर्णय की प्रति के साथ ग्राम पंचायत का रेकर्ड लौटाया जावे।

(भागीरथ बिश्नोई)
अति. जिला कलक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 29.11.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भागीरथ बिश्नोई)
अति. जिला कलक्टर, पाली